

14-5-24

पंजावली पेश डूई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीय
सम्मन बाद शामिल होकर डिलेवरी रिपटि प्राप्त डूई
जिले शा.पठ किया गया। विपक्षीय को कितकी
मर्त वा कूक-कूक कर डावाणै डिलायी जाने के बाद
भी उपस्थित नली। इनके सिक्के एउ वरफा कार्यवाही
किये जाने का आदेश दिया जात है वकील प्रार्थी का
जा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक से
लिखा जाकर शा.पठ किया गया। पंजावली पेश
सुमार होकर नगतर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 76/23 प्रा.पत्र

1- श्री हीरालाल शं. श्री रामलाल कलाल निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बाबूलाल शं. श्री सवाईराम कलाल निवासी- लेसवा तहसील-माण्डल

2- राजस्थान राज्य जरिह तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-5-24


::आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1401, 1402 कुल किता 02 रकबा 0-3920 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30-05-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1401, 1402 कुल किता 02 रकबा 0-3920 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकार किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल